झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

सं०सं० 16/खाद्य (विविध)–12–06/2017 – 86(16) राँची दिनांक 13/05/2020

आदेश

विभागीय अधिसूचना संख्या–84(16) दिनांक 08.05.2020 के द्वारा निम्नलिखित पान मसाला (1) Rajnigandha Pan Masala (2) Raj Niwas Pan Masala (3) Pan Parag Pan Masala (4) Sikhar Pan Masala (5) Dilruba Pan Masala (6) Musafir Pan Masala (7) Madhu Pan Masala (8) Bimal Pan Masala (9) Bahar Pan Masala (10) Sehrat Pan Masala (11) Pan Parag Premium पान मसाला का manufacture, storage, distribution or sale को उपर्युक्त उल्लिखित पान मसाला में Magnesium Carbonate पाये जाने के कारण अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले एक वर्ष तक के प्रतिबंधित किया गया है।

2. उपर्युक्त उत्पादों में से कोई भी उत्पाद किसी दुकानदार/थोक बिक्रेता के गोदाम अथवा दुकान में रखा गया है, तो उन उत्पादों को खुदरा विक्रेताओं/थोक बिक्रेताओं से थोक विक्रेताओं/वितरकों द्वारा वापस लेकर इन्हें झारखण्ड राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की कार्रवाई दिनांक 31.05.2020 तक की जा सकेगी।
3. बिक्री स्थल पर भंडारण वर्जित रहेगा, अर्थात भंडारण सिर्फ वितरक/थोक विक्रेता अपने गोदाम में 31.05.2020 तक हीं कर सकेंगे। इस अवधि में इससे संबंधित वितरक/ थोक विक्रेता अपने उत्पाद को झारखण्ड राज्य से उन राज्यों में ले जा सकेंगे जहां पर उक्त उत्पादों पर प्रतिबंध नहीं है।
4. संबंधित वितरक/थोक विक्रेता अपने गोदाम में भंडारण किए गये तथा झारखण्ड राज्य से बाहर ले जाये जाने वाले सभी प्रतिबंधित उत्पादों की सूची बनाकर अपने–अपने जिले के अनुमण्डल पदाधिकारी–सह–अभिहित अधिकारी एवं खाध सुरक्षा पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे एवं उनकी संज्ञान में लाते हुए प्रतिबंधित उत्पादों को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की प्रक्रिया को सम्पादित करेंगे।
5. दिनांक 01.06.2020 से उपर्युक्त उत्पादो का परिवहन एवं भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।
6. विभागीय अधिसूचना संख्या–16/Khadya (Vividh)-12-06/2017 84(16), दिनांक–08.05. 2020 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

Kulkarni 12/5/2020

(डॉ० नितिन कुलकर्णी)
प्रधान सचिव–सह–
खाद्य सुरक्षा आयुक्त

ज्ञापांक : 86(16) रांची/दिनांक 13/05/2020

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव झारखण्ड/सभी अपर मुख्य सचिव झारखण्ड/सभी प्रधान सचिव, झारखण्ड/सभी सचिव, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी आरक्षी अधीक्षक, झारखण्ड/अभियान निदेशक NHM, झारखण्ड/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड, राँची/संयुक्त खाद्य संरक्षा आयुक्त, झारखण्ड, राँची/खाद्य विश्लेषक राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला,रांची/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी –सह–अभिहित अधिकारी झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड/कार्यकारी निदेशक राज्य नोडल पदाधिकारी,NTCP Jharkhand/कार्यकारी निदेशक SEEDS Jharkhand को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ0 नितिन कुलकर्णी)
प्रधान सचिव–सह–
खाद्य सुरक्षा आयुक्त